



राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: F1008(13-1)/Dohfw/sby/IEC/2016-17/ 596

दिनांक : 24/2/2017


स्वीकृति आदेश

जिला स्तर पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार व आईईसी गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अर्न्तगत प्रत्येक जिला स्वास्थ्य समितियों को आईईसी मद से संभाग मुख्यालय पर राशि 1,00,000 रुपये तथा जिला मुख्यालय पर राशि 50,000 रुपये निम्नानुसार हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	जिला स्वास्थ्य समिति का नाम	आवंटित राशि (रूपये)	क्रम संख्या	जिला स्वास्थ्य समिति का नाम	आवंटित राशि (रूपये)
1.	अजमेर	1,00,000	18.	जयपुर-द्वितीय	50,000
2.	अलवर	50,000	19.	जैसलमेर	50,000
3.	बांसवाड़ा	50,000	20.	जालौर	50,000
4.	बांरा	50,000	21.	झालावाड़	50,000
5.	बाड़मेर	50,000	22.	झुंझुनूं	50,000
6.	भरतपुर	1,00,000	23.	जोधपुर	1,00,000
7.	भीलवाड़ा	50,000	24.	करौली	50,000
8.	बीकानेर	1,00,000	25.	कोटा	1,00,000
9.	बूंदी	50,000	26.	नागौर	50,000
10.	चित्तौड़गढ़	50,000	27.	पाली	50,000
11.	चूरु	50,000	28.	प्रतापगढ़	50,000
12.	दौसा	50,000	29.	राजसमंद	50,000
13.	धौलपुर	50,000	30.	सवाईमाधोपुर	50,000
14.	डूंगरपुर	50,000	31.	सीकर	50,000
15.	श्रीगंगानगर	50,000	32.	सिरोही	50,000
16.	हनुमानगढ़	50,000	33.	टोंक	50,000
17.	जयपुर-प्रथम	1,00,000	34.	उदयपुर	1,00,000
				योग	20,50,000


1. उक्त राशि से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी, अपडेट के फ्लेक्स, पोस्टर, पम्पलेट्स, हैण्ड बिल, प्रश्नोत्तरी, स्थानीय मेलों और हाट में आईईसी गतिविधियों के अर्न्तगत माइकिंग, प्रदर्शनी हैण्डबिल इत्यादि विभिन्न गतिविधियों में खर्च किया जा सकता है।
2. शहर के प्रमुख स्थान और भीड़-भाड़ वाले चौराहे जैसे जिला कलेक्ट्रेट, जिला परिषद, पंचायत समिति, मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल इत्यादि स्थानों पर जहां पर पूर्व में फ्लेक्स नहीं लगाये गए हैं वहां बड़े फ्लेक्स लगवाना सुनिश्चित किया जाये।
3. ऐसे क्षेत्र जहां योजना का प्रचार-प्रसार और प्रगति धीमी है, वहां कार्ययोजना बनाकर योजना की जानकारी वाले पम्पलेट्स प्रकाशित कर वितरित किया जाये।

4. संबंधित गतिविधियों की रिपोर्ट और फोटोग्राफ, समाचारपत्रों की न्यूज कटिंग श्री नवलकिशोर व्यास, राज्य आईईसी सलाहकार(बीएसबीवाई) को ई-मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें।
5. उक्त राशि का व्यय उपरांत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।


(नेवीन जैन)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी

प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग, राजस्थान।
2. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
3. संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना।
6. जिला नोडल अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना(प्रशासन)
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी।
9. जिला आईईसी समन्वयक, समस्त।
10. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी